न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00469 (346/2018) 225 आरटीएक्ट

महावीर सिह पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढं

–अपीलाण्ट

बनाम

1. दयालाराम
2. लखाराम
3. भागीरथ

पुत्रगण श्री मलूराम अकवाम जाट निवासीगण पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ

4. मनोहरी देवी पत्नी मल्लूराम (फौत)

4/1 कान्ता पुत्री विनोद कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शारदा पत्नी विनोद कुमार पुत्र मलूराम

4/2 विकास पुत्र विनोद कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शारदा पत्नी विनोद कुमार पुत्र मलूराम

4/3 विद्यादेवी पत्नी मंगलाराम (पुत्री मनोहरी पत्नी मलूराम) जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

4/4 गुड्डी देवी पत्नी कानाराम (पुत्री मनोहरी पत्नी मलूराम) जाति जाट निवाासी खाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4/5 सरबती पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी माझू बास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4/6 दौलतराम पुत्र साहबराम (पौत्र सुरस्वती देवी पत्नी रजीराम) जाति जाट निवासी माझूबास तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।

4/7 दलीप पुत्र साहबराम (पोत्र सुरस्वती पत्नी रजीराम) जाति जाट निवासी माझूबास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4/8 चन्द्रकला पत्नी राजूराम पुत्री साहबराम (पौत्री सुरस्वती देवी पत्नी रजीराम) जाति जाट निवासी गांव फरसावाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4/9 कृष्णलाल पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी माझूबास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4/10 हरियादेवी पत्नी बलवन्तराम (पुत्री सुरस्वती देवी पत्नी रजीराम) जाति जाट (पोटलिया) निवासी चक 45 एलएलडल्यू तहसील पदुमपुर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4/11 जैतो देवी पत्नी महावीर (पुत्री सुरस्वती देवी पत्नी रजीराम) जाति जाट निवासी दौतलपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4/12 गुड्डी देवी पत्नी जगदीश माकड़ (पुत्री सुरस्वती देवी पत्नी रजीराम) जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4/13 सरस्वती देवी पत्नी भानीराम (पुत्री सुरस्वती देवी पत्नी रजीराम) जाति जाट निवासी गांव फरसावाला तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।

5. सरस्वती पत्नी गोपीराम पुत्र मलूराम
6. मीरा पुत्री गोपीराम पुत्र मलूराम
7. महेन्द्रा पुत्री गोपीराम पुत्र मलूराम
8. माया पुत्री गोपीराम पुत्र मलूराम
9. इन्द्रा पुत्री गोपीराम पुत्र मलूराम
10. कमला पुत्री गोपीराम पुत्र मलूराम
11. शारदा पत्नी विनोद कुमार पुत्र मलूराम

अकवाम जाट निवासीगण पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।

12. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

—असल रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण

13. पार्वती देवी पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी पक्का भादवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. इन्द्रादेवी पुत्री भादरराम पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
15. मदनलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी पक्का भादवां तहसील व जिला हनुमानगढ
16. प्रेमकुमार पुत्र भादराम जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. लालचन्द पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।
18. पृथ्वीराज पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी पक्का भादवां तहसील व जिला हनुमानगढ।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण

विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.10.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ प्रकरण संख्या 216/2018 बअनवानी महावीर बनाम दयालाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

श्री खुशप्रीतसिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री कैलाश धामू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 11

निर्णय दिनांकः—12.03.2020

1. अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जिसमें चक 30 एलएलडब्ल्यू के प. नं. 45/229 (29) के किला नं. 18 व 23 में 1—1 गट्ठा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते के अस्तित्व से इन्कार करते हुए प्रार्थी की भूमि के पत्थर नं. 44/230 के किला नं. 3—4—5 के उत्तर सिर पर पूर्व से पश्चिम रास्ता चालू होने व राजस्व अभिेख में दर्ज होने के कथन करते हुए प्रार्थी के पास रास्ता होने के कथन करते हुए प्रार्थना—पत्र खारिज करने का कथन किया। पत्रावली में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र पेश हुआ जो दिनांक 12.09.2018 को स्वीकार किया गया और संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश दिये गये। संशोधित शीर्षक अपील प्रस्तुत नहीं हुआ। बाद में पत्रावली में दिनांक 30.11.2018 निश्चित की गई। दिनांक 12.10.2018 को नजदीक पेशी का प्रार्थना—पत्र पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना—पत्र प्रार्थी खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वह मुख्य रास्ता से होकर पत्थर नंबर 45/229 मुरब्बा नंबर 29 के किला नं. 18 व 23 से होकर अपनी संयुक्त खाता की पत्थर नंबर 45/229 मुरब्बा नंबर 29 किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 10, 11 ता 13 से होकर अर्सा पूर्व से अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहा है एवं किला नं. 9 में स्थित ढाणी में निवास कर रहा है इसी अनुसार अनुसार प्रार्थी प. नं. 45/229 मुरब्बा नं. 29 किला नं. 18 व 23 में 1—1 गट्ठा पूर्व की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा में आवागमन कर रहे है और रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2018 कतई गलत, विधि विरूद्ध, एकपक्षीय एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है। दिनांक 26.10.2018 की तारीख पेशी के लिए जारी तामील अपीलाण्ट/प्रार्थी के अधिवक्ता को प्राप्त नहीं हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट/प्रार्थी के अधिवक्ता के पास कोई भी तामील कुनिन्दा सम्मन/नोटस लेकर नहीं आया तथा ना ही अपीलाण्ट/प्रार्थी व उसके अधिवक्ता ने कभी नोटिस/सम्मन लेने से इन्कार किया। अपीलाण्ट/प्रार्थी व उसके अधिवक्ता श्री भवानीसिंह निर्वाण, श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण व योगेश कुमार झोरड़ तीन अधिवक्ता हैं। इन तीनों को ही कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुए। वस्तुतः रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा से मिली भगत कर अभिकथित तामील सुरेन्द्र कुमार सहारण के जुनियर पर होना दर्शाई है जोकि तीनों एडवोकेट के अलावा कोई जुनियर अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सहारण का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तामील को विधि सम्मत मानकर दिनांक 29.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं जो अपास्त होने योग्य हैं। यह कि दिनांक 26.10.2018 के लिए जारी नोटिस नजदीक की पेशी नियत करने हेतु जारी किये गये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायायल ने नजदीक पेशी नियत न करते हुए सीधे ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया जा अपास्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण में अभी तामील शेष थी । सभी पक्षकारों पर तामील हुये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायायल ने यह विवेचन की है कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने संशोधित शीर्षक बावजूद आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त विवेचना पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत है। वस्तुत दिनांक 12.09.2018 को अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया था तथा संशोधन लाल स्याही से अंकन करने के आदेश पारित किये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में संशोधित शीर्षक न प्रस्तुत होने की विवेचना करते हुए अपीलाण्अ के विरूद्ध विपरीत अवधारणा पारित की है। दिनांक 17.09.2018 को प्रस्ताव होने के कारण पत्रावली में आगमी पेशी 26.09.2018 मुकर्रर की गई। दिनांक 26.09.2018 को कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण जरिये नोटिस तारीश पेशी 30.11.2018 मुकर्रर की गई थी ऐसी स्थिति में पूर्व में संशोधित शीर्षक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी विवेचना गलत की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर उस पर अपीलाण्ट/प्रार्थी को आपत्तियों का कोई अवसर नहीं दिया गया। धारा 251 ए आरटीए के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय मौका पर की रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार की जानी आवश्यक है तथा वर्तमान प्रकरण में भी अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा जिसमें मौका देखने की की दिनांक व पटवार हल्का के हस्ताक्षर करने की दिनांक में भिन्नता है जिससे स्पष्ट है

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कि मौके पर जाये बिना ही रिपोर्ट तैयार की गई है अपीलाण्ट को रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया है। ताहम भी प्रार्थी/अपीलाण्ट दिनांक 29.10.2018 को उपस्थित न होने की सूरत में अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्था–पत्र अदम पैरवी में खारिज होना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायायल ने राजनैतिक दबाव के कारण अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आनन फानन में अंतिम निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह विवेचन की है कि प्रार्थी को रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलाण्ट/प्रार्थी अपनी संयुक्त भूमि के पत्थर नंबर 44/230 के किला नं. 3, 4, 5 के उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम रास्ता चालू से आवागमन कर सकता है। उक्त विवेचना भी कतई गलत है। वस्तुतः पत्थर नंबर 44/230 किला नं. 5 व पत्थर नं0 44/229 के किला नं. 5, ,6, 15, 16, 25 में पूर्वी ओर धौरी खाल पक्का निर्मित शुदा है। इस कारण पत्थर नंबर 44/229 व पत्थर नंबर 45/229 के मध्य धौरी खाला पक्का निर्मित होने के कारण एक मुरब्बा से दूसरे मुरब्बा में आवागमन नहीं हो सकता है। इन परिस्थतियों को मध्य नजर रखते हुए घराघरू बंटववारा इकरानामा में रेस्पोडेंट ने प्रश्नगत रास्ता देना स्वीकार किया था अब इसके विरूद्ध कथन करने से विबंधित है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016–17 सपलीमेन्ट्री पेज 597, आरआरडी 1994 पेज 215, 217, 505, आरआरडी 1994 पेज 172 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया किया कि अपीलाण्ट का यह कथन झूठ है कि अपीलाण्ट पत्थर नंबर 45/229 के किला नं. 18 व 23 में अर्सा पूर्व से आवागमन कर रहा हो बल्कि अपीलाण्ट का आवागमन पत्थर नं. 44/230 के किला नं. 3–4–5 में चले रहे स्वीकृत रास्ता से है। उक्त रास्ता से अपीलाण्ट अपनी पत्थर नम्बर 44/229 के किला नं. 23–24–25 में स्थित भूमि में प्रवेश करता है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अधिकारी ने अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र पर आगामी पेशी यथास्थिति बनाये जाने का आदेश मात्र पारित किया था परन्तु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायायल के कर्मचारियों से मिलीभगत कर चालू रास्ता शब्द अंकित करवा लिया। अपीलांट ने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से उक्त फर्द अहकाम में हुई त्रूटि की आड में पुलिस से मिलीभगत कर एक बार किला नं. 18 व 23 में रास्ता चालू करने का असफल प्रयास किया था। अपीलाण्ट असद्भावी है। अपीलांट ने जानबूझकर मामला को दरीकना करने की गर्ज से बहस नहीं की तथा बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आई तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट में भी अपीलाण्ट को रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं हेाने व अपीलाण्ट की खुद की भूमि में रास्ता चालू होने व स्वीकृत होने का हवाला है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट द्वारा कथित रूप से रास्ता को बन्द कर देने व अपीलाण्ट के कथित आवागमन में बाधा कारित करने के सम्बन्ध में मिथ्या व मनघडन्त कथन किये हैं। जब किला नंबर 18 व 23 में रास्ता विद्यमान है तो उसे बन्द करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अपीलाण्ट येन केन प्रकरेण मामला को देरीना करना चाहता है। अपीलाण्ट ने अपनी प. नं. 45/229 में दर्ज भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं हाने के झूठे कथन किये हैं जहां अपीलाण्ट की भूमि में खाला चल रहे होने का प्रश्न है उसकी उंचाई के संबंध मं अपीाण्ट ने मनघडंत कथन किये हैं ताहम भी नहर व खाला से आवागमन के लिए पुलिस का निर्माण किया जा सकता है तीा पूर्व मं भी अपीलाण्ट ने खाला पर पुलिस बनाई हुई थी जिससे अपीलाण्ट आवागमन करता था जिसे उसे बाद में जानबूझकर ध्वस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका की सही व वास्तवितक रिपोर्ट आई हुई है। जहां तक खाला होने का प्रश्न है उक्त खाला का अंकन जमाबंदी में ही दर्ज है रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि में अपीलाण्ट जबरन रास्ता लेना चाहता है जिसकी अनुमति कानूनन नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र रजास्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट का कथन है कि वह मुख्य रास्ता से होकर पत्थर नंबर 45/229 मुरब्बा नंबर 29 के किला नं. 18 व 23 से होकर अपनी संयुक्त खाता की कृषि भूमि को काश्त कर रहा है एवं किला नं. 9 में स्थित ढाणी में निवास कर रहा है इसी अनुसार अनुसार प्रार्थी प. नं. 45/229 मुरब्बा नं. 29 किला नं. 18 व 23 में 1–1 गट्ठा पूर्व की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा में आवागमन कर रहे है और उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी था। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट को नजदीक पेशी का नोटिस नहीं दिया व एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये और नजदीक पेशी नियत न करते हुए सीधे ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। संशोधित शीर्षक नहीं लिया गया तथा मौका रिपोर्ट पर सुना नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश 7 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.09.2018 को स्वीकार किये गये। पत्रावली जरिये नोटिस दिनांक 30.11.2018 में रखी गई। अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.10.2018 को पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, जिस पर प्रार्थी को दिनांक 22.10.2018 की पेशी का नोटिस जारी किया उक्त नोटिस पर अधिवक्ता प्रार्थी चैम्बर में नही होने व सालासर गये होने की रिपोर्ट आई। प्रार्थी अधिवक्ता को पुनः दिनांक 26.10.2018 की पेशी का नोटिस जारी किया गया जो तामील होने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस नोटिस की पुश्त पर अंकित है कि "नोटिस की एक प्रति सुरेन्द्र सहारण के जूनियर को दिया गया" इसकी पुश्त पर उसके जुनियर की रिपोर्ट भी अंकित है कि "सुरेन्द्र सहारण बाहर गये होने के कारण प्रति मेरे द्वारा प्राप्त की गई, सुरेन्द्र सहारण उपस्थित नही होने के कारण पार्टी को नोटिस जारी हो" इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नोटिस की तामील प्रार्थी के अधिवक्ता के जूनियर को करवा दी गई थी लेकिन वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दो बार अपीलाण्ट प्रार्थी के अधिवक्ता के नोटिस भिजवाये गये थे। उनके उपस्थित नहीं आने पर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 "ए" के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया था। धारा 251–ए के तहत रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2018 संलग्न है जो तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक 4389 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा अग्रेसित की गई है जिसमें बिन्दू संख्या 4 व 5 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी के खेत में जाने हेतु पूर्व में ही रास्ता स्वीकृत है। प्रार्थी के खेत में स्वीकृतशुदा रास्ता मौजूद है अन्य किसी रास्ते की आवश्यकता नही है। इस रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। धारा 251–ए के तहत रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। यदि रास्ते के बीच में खाला आ जाता है तो आवागमन के लिए पुलिया का निर्माण किया जा सकता है लेकिन इसके लिए रास्ता होते हुए नया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अपीलाण्ट की अपील गुणागवुण पर कोई बल नहीं रखती है लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 12:21:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: